रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 838] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2016/अग्रहायण 16, 1938
No. 838] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2016/AGRAHAYANA 16, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1119(अ).— केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 434 की उप धारा 1 और 2 और सपठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) (जिसे इसके बाद संहिता कहा गया है) की धारा 239 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम 15 दिसम्बर, 2016 को प्रवृत्त होंगे, सिवाय नियम 4 के जो 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) अभिप्रेत है;

(ख) "अधिकरण" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं है परन्तु कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) (जिसे इसमें अधिनियम कहा गया है) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 या संहिता में परिभाषित किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो, उनके, यथास्थिति, संबंधित अधिनियम, या नियमों या संहिता, में है।

(3) इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियां, जिसके अन्तर्गत समापन संबंधी कार्यवाहियों से भिन्न माध्यस्थम, समझौता ठहराव और पुनःसन्निर्माण संबंधी कार्यवाहियां भी हैं क्रमशः क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाली अधिकरण की न्यायपीठों को अन्तरित हो जाएगी ।

3. समापन से भिन्न लम्बित मामलों की कार्यवाहियों का अंतरण.—अधिनियम के अंतर्गत समापन को छोड़कर अन्य जो कार्यवाहियां इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थीं, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाली अधिकरणों की न्यायपीठों को अंतरित हो जाएंगी :

परन्तु कि वे सभी कार्यवाहियों जो अनुमति के आदेश या अन्यथा सुरक्षित रखी गई है ऐसी कार्यवाहियों अंतरित नहीं की जाएगी।

4. स्वैच्छिक समापन से संबंधित लम्बित कार्यवाही.—स्वैच्छिक समापन से संबंधित सभी आवेदन और याचिकाएं जो उच्च न्यायालय में इन नियमों के शुरू होने की तारीख को लम्बित थी वे जारी रहेगी और उनका उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निबटान किया जाएगा।

5. समापन की लम्बित कार्यवाहियों का ऋण अदा करने में अयोग्यता के आधार पर अंतरण.—(1) समापन से संबंधित सभी याचिकाएं जो अधिनियम की धारा 433 के खंड (ङ) के अन्तर्गत उसके ऋण चुकाने की अयोग्यता के आधार पर जो उच्च न्यायालय में लम्बित है और कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के नियम 26 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित याचिका को प्रतिवादी को तामील नहीं किया गया है वह अधिनियम की धारा 419 की उप धारा (4) के अन्तर्गत स्थापित अधिकरण की पीठ को अंतरित हो जाएगी जो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है और ऐसी याचिकाओं को संहिता के धारा 7, 8 और 9 के अन्तर्गत जैसा भी मामला हो, आवेदन माना जाएगा और संहिता के भाग II के अनुसार इनका निपटान किया जाएगा :

परन्तु याची सभी सूचनाएं नियम 7 के अनुसार अंतरित अभिलेख का जो भाग बनता है कि सूचनाओं से भिन्न, प्रस्तुत करेगा जो संहिता की धारा 7, 8 या 9 के अन्तर्गत याचिका को स्वीकार करने के लिए आवश्यक है, जैसा भी मामला, जिसमें प्रस्तावित दिवाला व्यावसायियों के विवरण शामिल हैं अधिकरण को इस अधिसूचना के 60 दिवस के भीतर देने होंगे, ऐसा न होने पर याचिका रद्द हो जाएगा।

(2) सभी मामले, जहां बोर्ड द्वारा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण और कंपनी के समापन हेतु राय उच्च न्यायलय को अग्रेषित की गई है और जहां कोई अपील लंबित नहीं है, समापन की कार्यवाहियों जो रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 20 के अनुसरण में शुरू की गई है वह ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निपटान किया जाएगा।

6. ऋण चुकाने की अयोग्यता से भिन्न आधार पर समापन मामलों की लम्बित कार्यवाहियों का अंतरण.—कंपनी अधिनियम, 1956 की थारा 433 की उप धारा (क) और (च) के अन्तर्गत दायर सभी याचिकाएं, जो उच्च न्यायालय के सम्मुख लम्बित है और जहां याचिका को कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के नियम 26 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित प्रतिवादी को तामील नहीं किया गया है, ऐसे अधिकरण की पीठ को अंतरित की जाएंगी, जो ऐसे प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है और ऐसी याचिकाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अन्तर्गत याचिका माना जाएगा।

7. अभिलेख का अंतरण.—इन नियमों के अनुसार मामलों के अंतरण के अनुसरण में संगत अभिलेखों को संबंधित उच्च न्यायलयों द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की पीठों को ऐसे मामलों के अंतरण पर क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अंतरित किए जाएंगे।

8. फीस संदत्त नहीं की जाएगी.—राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, इन नियमों के अनुसार अंतरित किसी भी कार्यवाही के संबंध में कोई फीस संदेय नहीं होगी।

[फा. सं. 1/5/16-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2016

G.S.R. 1119(E).— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 434 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with sub-section (1) of section 239 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) (hereinafter referred to as the Code), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and Commencement. - (1) These rules may be called the Companies (Transfer of Pending Proceedings) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from the 15th December, 2016, except rule 4, which shall come into force from 1st April, 2017.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Code" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);`

(b) "Tribunal" means the National Company Law Tribunal constituted under section 408 of the Companies Act, 2013.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) (herein referred to as the Act), the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Companies (Court) Rules, 1959 or the Code shall have the meanings respectively assigned to them in the respective Act or rules or the Code, as the case may be.

3. Transfer of pending proceedings relating to cases other than Winding up.—All proceedings under the Act, including proceedings relating to arbitration, compromise, arrangements and reconstruction, other than proceedings relating to winding up on the date of coming into force of these rules shall stand transferred to the Benches of the Tribunal exercising respective territorial jurisdiction:

Provided that all those proceedings which are reserved for orders for allowing or otherwise of such proceedings shall not be transferred.

4. Pending proceeding relating to Voluntary Winding up: All applications and petitions relating to voluntary winding up of companies pending before a High Court on the date of commencement of this rule, shall continue with and dealt with by the High Court in accordance with provisions of the Act.

5. Transfer of pending proceedings of Winding up on the ground of inability to pay debts.—(1) All petitions relating to winding up under clause (e) of section 433 of the Act on the ground of inability to pay its debts pending before a High Court, and where the petition has not been served on the respondent as required under rule 26 of the Companies (Court) Rules, 1959 shall be transferred to the Bench of the Tribunal established under sub-section (4) of section 419 of the Act, exercising territorial jurisdiction and such petitions shall be treated as applications under sections 7, 8 or 9 of the Code, as the case may be, and dealt with in accordance with Part II of the Code:

Provided that the petitioner shall submit all information, other than information forming part of the records transferred in accordance with Rule 7, required for admission of the petition under sections 7, 8 or 9 of the Code, as the case may be, including details of the proposed insolvency professional to the Tribunal within sixty days from date of this notification, failing which the petition shall abate.

(2) All cases where opinion has been forwarded by Board for Industrial and Financial Reconstruction, for winding up of a company to a High Court and where no appeal is pending, the proceedings for winding up initiated under the Act, pursuant to section 20 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 shall continue to be dealt with by such High Court in accordance with the provisions of the Act.

6. Transfer of pending proceedings of Winding up matters on the grounds other than inability to pay debts.—All petitions filed under clauses (a) and (f) of section 433 of the Companies Act, 1956 pending before a High Court and where the petition has not been served on the respondent as required under rule 26 of the Companies (Court) Rules, 1959 shall be transferred to the Bench of the Tribunal exercising territorial jurisdiction and such petitions shall be treated as petitions under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

7. **Transfer of Records.—**Pursuant to the transfer of cases as per these rules the relevant records shall also be transferred by the respective High Courts to the National Company Law Tribunal Benches having jurisdiction forthwith over the cases so transferred.

8. **Fees not to be paid.—**Notwithstanding anything contained in the National Company Law Tribunal Rules, 2016, no fee shall be payable in respect of any proceedings transferred to the Tribunal in accordance with these rules.

[F. No. 1/5/2016– CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2016.12.08 15:25:16 +05'30'